RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३४] मंगळवार, ऑक्टोबर ३१, २०१७/कार्तिक ९, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगरविकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १२ अक्तूबर २०१७ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. 23 OF 2017.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३ सन् २०१७ ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

सन् १९४९ का ५९।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश, प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९४९ का ५९ की धारा १४९ क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १४९ में,—

(एक) उप-धारा (१) और (२) के स्थान में, निम्न उप-धाराएँ, रखी जायेगी और १ जुलाई २०१७ से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" (१) महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क, स्थावर संपत्ति के संबंध में, विक्रय, उपहार के लिखत और भोगबंधक पर क्रमशः शहर में स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित किन्ही ऐसे लिखत के मामले में, इस प्रकार स्थित संपत्ति के मूल्य पर विक्रय या उपहार के मामले में और लिखत में उपवर्णित अनुसार लिखत द्वारा सुरक्षित रकम पर भोगबंधक के लिखत के मामले में एक प्रतिशत के दर पर अधिभार द्वारा बढाया जायेगा और उक्त अधिनियम के अधीन तद्नुसार संग्रहीत किया जायेगा। सन् १९५८ का ६०।

(२) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, की धारा २८,—

(क) शहर में स्थित संपत्ति; और

(ख) किन्हीं अन्य क्षेत्र में स्थित संपत्ति, के संबंध में, अलग रूप से उपवर्णित किये जाने के लिये उसमें विनिर्दिष्ट किये गये विशेष रूप से आवश्यक विवरणों के रूप में पढी जायेगी और प्रवृत्त होगी;

(दो) उप-धारा (३) में, " अधिसूचित शहर का प्रत्येक " शब्दों के स्थान में, " शहर के " शब्द रखे जायेंगे और १ जुलाई २०१७ से रखे गये समझे जायेंगे;

(३) उप-धारा (५) में, निम्न अंत में, जोड़ा जायेगा, अर्थात : —

" इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार, १ जुलै २०१७ से भूतलक्ष्यी प्रभाव से नियम बना सकेगी। "।

अध्याय तीन

विविध

उदग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क का विधिमान्यकरण।

३. (१) किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, ड़िक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे " संशोधन अध्यादेश " कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक से पूर्व, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, " नगर निगम अधिनियम " कहा गया है) के उपबंधों के अधीन विक्रय, उपहार और भोगबंधक के लिखत कार्यान्वयन के संबंध में किया गया कोई निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या स्टाम्प शुल्क या अधिभार का संग्रहण या ऐसे निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में की गई कोई कार्यवाही या कि गयी कोई बात उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी मानों कि ऐसा निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण या कार्यवाही या बात संशोधन अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम के अधीन सम्यक्तया किया गया, ली गई या कि गई थी, और तद्नुसार,— सन् १९४९ का ४९। सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. २३।

(क) ऐसे स्टाम्प, शुल्क या अधिभार के उदग्रहण से संबंधित निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में, किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा कृत या किये गये समस्त कार्य, कार्यवाहियाँ या बातें, समस्त प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार कृत और की जायेंगी और सदैव कृत और की गई समझी जायेंगी;

(ख) इस प्रकार अदा किये गये किसी स्टाम्प शुल्क या अधिभार के प्रतिदाय के लिए, किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी रखी नहीं जायेगी; और

(ग) कोई भी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, ऐसे शुल्क या अधिभार के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश लागू नहीं करेगा।

(२) संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (१) की कोई भी बात किसी व्यक्ति को,—

(क) संशोधन अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उप-धारा (१) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क या अधिभार के किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण को प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के रूप में उससे देय रकम से अधिक उसके द्वारा अदा किये गये किसी स्टाम्प शुल्क या अधिभार के प्रतिदाय का दावा करने से रोकती हुई नहीं समझी जायेगी।

(३) संशोधन अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम की कोई भी बात, संशोधन अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व, उसके द्वारा कृत या किये जाने से छोडी गयी किसी बात के संबंध में, किसी व्यक्ति को, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने का दायी नहीं बनायेगी, यदि ऐसा कृत्य या लोप नगर निगम अधिनियम के अधीन अपराध नहीं था, किन्तु संशोधन अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधनों के लिए अपराध है, और यदी कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य या लोप के संबंध में, संशोधन अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक के सद्य पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उस पर लगाई जा सकनेवाली शास्ति से अधिक शास्ति के अध्यधीन होगा।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

सन १९४९ का ५९।

४. (१) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधिन महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा १४९क, यह उपबंध करती हैं कि, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन १९५८ का ५९) के अधीन स्थावर संपत्ति के संबंध में क्रमशः विक्रय, उपहार और भोगबंधक की लिखित पर, उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क, जहाँ उस अधिनियम की धारा १२७ की उप-धारा (२) के खण्ड (ककक) के उपबंधों के अधीन, लागू थी, से संबंधित कोई ऐसे लिखत के मामले में, इस प्रकार स्थित संपत्ति के मूल्य पर विक्रय या उपहार के मामले में और लिखत में उपवर्णित के अनुसार लिखत द्वारा सुरक्षित रकम पर भोगबंधक की लिखत के मामले में एक प्रतिशत के अधिभार द्वारा बढ़ाया जायेगा और उक्त अधिनियम के अधीन तद्नुसार संग्रहित किया जायेगा।

२. महाराष्ट्र माल और सेवा कर संबंधि विधियाँ (संशोधन, विधिमान्यकरण तथा व्यावृत्ति) अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४२) की धारा ३६ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा १२७ (स्थानीय निकाय कर से संबंधित) की उप-धारा (२) के खण्ड (ककक) के लोप के कारण उक्त धारा १४९ क के उपबंध अब निरर्थक बन गये हैं।

३. शहरों के निगमों जहाँ, स्थावर संपत्ति के संबंध में क्रमशः विक्रय, उपहार और भोगबंधक के लिखत पर महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ४०) के अधीन उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क के एक प्रतिशत के समान रक्कम प्राप्त करने के लिये स्थानीय निकाय कर निरंतर लागू था, की सुनिश्चिति करने के लिये, उक्त धारा १४९क, १ जुलाई २०१७ से माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के दिनांक से संशोधिन करना इष्टकर समझा गया हैं। पहले से ही संग्रहित किये गये ऐसे स्टाम्प शुल्क या अधिभार के उद्ग्रहण या संग्रहण के विधिमान्यकरण के लिये यथोचित उपबंध बनाना इष्टकर समझा गया हैं।

४. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हे उपरोक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित १० अक्तूबर २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार की प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.